VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M.N. 14 JUL 2023 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2419)

Name of Candidate	Arpit Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	546705
Center	M.N.	Date	14-07-23

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the role played by the Directorate of Enforcement in the investigation of offence of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

1956 में स्थापित प्रवर्तन निदेशालय भारत में काला धन तथा मुद्रा कानून के उल्लंघन की जाँच हेतु केंद्रीय एजेंसी है.

सकारात्मक भूमिका.

1. प्रवर्तन निदेशालय शेल कंपनियों आदि के माध्यम से हो रहे मनी लांड्रिंग पर राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करता है।

2. यह सुनिश्चित करता है कि न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी उपर्युक्त दोनों कानूनों का क्रियान्वयन हो।

3. पी.एम.एल.ए. कानून की स्थापना के पश्चात से प्रवर्तन निदेशालय मनी लाण्ड्रिंग अपराध को प्रभाविता से रोक सका है।

4. 2016 में हुयी नोटबंदी की सफलता हेतु प्रवर्तन निदेशालय की भी मुख्य भूमिका रही है।

चुनौतियाँ :

1. जहाँ IPC के तहत अपराध की सिद्धि दर 57% है वहीं पी.एम.एल.ए. के तहत मात्र 0.5% है।

2. प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्तियां पारदर्शी न होना.

3. विपक्ष द्वारा निदेशालय पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगाना.

4. विदेशों से अपराधियों के प्रत्यर्पण में सीमित भूमिका.

आगे की राह.

- साक्ष्य एकत्रण हेतु आवश्यक तकनीकि से लैस करना
- प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली को पारदर्शी करना
- प्रत्यर्पण में भूमिका को स्पष्ट करना.
- राज्य पुलिस के साथ सहयोग

"अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर सके यह सुनिश्चित करने में प्रवर्तन निदेशालय की लोचशील कार्यप्रणाली अत्यावश्यक है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। विश्लेषण कीजिए।
The Indian Constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Analyse. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय लोकतंत्र प्रकृति से उदार लोकतंत्र है।

उदार लोकतंत्र को सीमित शासन, नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा तथा संसदीय शासन आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उदार लोकतंत्र के विकास में संविधान की सफलता

1. अनु 368 तथा अनु 74,75 के माध्यम से यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है।
2. साथ ही मूल ढाँचे के विकास से संसद तथा सरकार की शक्तियां तार्किक हुयी हैं।
3. अनु (25-28) के द्वारा पंथनिरपेक्ष व धार्मिक स्वतंत्रता को उपलब्ध कराकर यह लोकतंत्र को उदार व सहिष्णु बनाता है।

यथा· अल्पसंख्यों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थायें·
बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद हेतु प्रदत्त भूमि

4. भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन की घोषणा करता है जो शक्ति संतुलन को संभव बनाकर उदार लोकतंत्र की स्थापना करता है·

5. संविधान की जीवंतता ने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार (भाग·3) प्रदान किये हैं।

चुनौतियां
- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के कारण अल्पमत मतों की उपेक्षा.
- कार्यकारिणी का विधायिका में बहुमत ⇓ बहुमत का शासन
- संघीय प्रणाली में मौजूद विसंगतियाँ

आगे की राह
- अल्पमत को भी तरजीह देना
- लिस्ट प्रणाली को भी अपनाना
- नियामक निकायों को मजबूत करना·
- संविधान की भावना के अनुरूप शासन

" उदार लोकतंत्र भारत की समाज की मूलभूत विशेषता रही है जिसे और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। "

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. "समनुषंगिता के सिद्धांत" से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।
What do you understand by the "principle of subsidiarity"? Discuss its importance in the context of India. (Answer in 150 words) 10

समनुषंगीकता का सिद्धांत विकेंद्रीकरण से संबंधित हैं अर्थात
जो कार्य छोटे निकायों द्वारा किया जा सकता है उसे बड़े निकायों को नहीं सौंपना चाहिए।
साथ ही वांछित संभव विकेंद्रीकरण को शासन के हर स्तर पर लागू करना चाहिए।

भारत के संदर्भ में समनुषंगीकता के सिद्धांत का महत्व·

I. विकेंद्रीकरण· समनुषंगीकता विकेंद्रीकरण को प्रोत्सा- -हित करता है, भारत स्थानीय निकायों को राजकोषीय विकेंद्रीकरण का केंद्र बना सकता है।

II. राजनीति में स्थानीय सहभागिता·
गांधी जी के अनुसार भारत के गांव लोकतंत्र के साधन हैं, यह गाँवों तथा स्थानीय जनता को शासन प्रक्रिया से

संबद्ध करता है.

III. प्रशासनिक दक्षता :
संगठन के आकार के अनुरूप कार्यों का वितरण समय तथा संसाधन दोनों को लागत प्रभावी बनाता है.

IV. त्वरित निस्तारण :
समनुषंगिकता का सिद्वांत राज्य तथा स्थानीय शासन की सहभागिता बढ़ाता जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करता है।

हालांकि भारतीय संघप्रणाली में मौजूद केंद्रीकरण तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी विकेंद्रीकरण को हतोत्साहित करती है।

∴ न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन तथा आपका शासन आपके हाथ सिद्वांतों को ध्यान में रखते हुये भारतीय राजव्यवस्था में समनुषंगिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. "मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन करना नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाकर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है, जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।" चर्चा कीजिए।

"The moral value of fundamental duties would not be to smother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights". Discuss. (Answer in 150 words) 10

मूल कर्तव्य तथा मूल अधिकार एक दूसरे कि पूरक के रूप में व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाते हैं।

42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को भारत में लागू किया गया था जिनकी आलोचना अधिकारों की सत्ता कम करने हेतु की गयी। हालांकि 1976 से 2023 तक मूल कर्तव्य लोकतांत्रिक संतुलन की स्थापना में मूल अधिकारों के पूरक साबित हुये हैं यथा

1. किसी एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं अतः अधिकारों के उपभोग हेतु कर्तव्यों का पूर्ण होना आवश्यक

⇒ मेरे पडोसी का स्वस्थ पर्यावरण का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिकार तभी सुनिश्चित है जब मैं पर्यावरण संबंधी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

2. राज्य एक जीवंत इकाई है; व्यक्ति के साथ-साथ राज्य के भी कुछ अधिकार हैं।

3. अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के साथ आते हैं, यही प्रतिबंध कर्तव्य का रूप ले लेते हैं।

4. अधिकारों की कानूनी वैधता हेतु कर्तव्यों का क्रियान्वयन आवश्यक

हालांकि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिकारों के दमन हेतु कर्तव्यों का हवाला दिया गया है जो सर्वथा गैर संवैधानिक है।

"कर्तव्य के बिना अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती; अधिकार सजग नागरिक यदि कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होंगे तभी अधिकार व लोकतंत्र दोनों की प्राप्ति संभव है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Do you think the exercise of delegated legislation by the executive goes against the principle of separation of powers? Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

संसद द्वारा विधायी निर्वात को पूरा करने हेतु कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान हेतु सक्षम बनाया जाता है।

प्रत्यायोजित विधान शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध

1. राज्य < विधायिका - विधान का निर्माण; कार्यपालिका - विधान का क्रियान्वयन
चूंकि प्रत्यायोजित विधान में कार्यपालिका न केवल क्रियान्वयन करती है बल्कि विधि निर्माण भी करती है।

2. विधि निर्माण में संसदीय मैकेनिज्म (विचार विमर्श, समिति अवस्था) आदि की अपेक्षा होती है।

3. कार्यपालिका के ~~विवेकाधिकार~~ विवेकाधिकार में वृद्धि होती है।

हालांकि विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि भारतीय राज व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण को न

अपनाकर शक्ति संतुलन को अपनाया गया है तथा अन्य निम्न कारणों से प्रत्यायोजित विधान वैध है:

वैधता
- प्रशासनिक विशेषज्ञता हेतु कार्यपालिका को सहयोग अपेक्षित
- संसद के समय में बचत :- महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न
- प्रत्यायोजित विधान के पश्चात भी विधान संसद की समीक्षा से गुजरता है.
- विधान का कार्यान्वयन आसान.

हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मौकों पर यह कहा है कि प्रत्यायोजित विधान का कम से कम सहारा लेना चाहिए तथा इसकी सीमाएँ भी अन्य विधायन की तरह ही हैं।

"संसद की कार्यप्रणाली में सुधार तथा आवश्यक विशेषज्ञता लाकर, प्रत्यायोजित विधायन के दायरे को सीमित किया जा सकता है।"

6. दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।

A key factor behind poor governance is a system of thinking and working in silos. Discuss in the context of public services in India. (Answer in 150 words) 10

जहाँ अन्य विकसित राष्ट्र लोक सेवाओं में नव प्रबंधन प्रणाली को अपना चुके हैं वहाँ भारत अभी भी वेबेरियन मॉडल पर कार्य कर रहा है.

दोषपूर्ण गवर्नेंस के कारण

1. भारतीय लोकसेवाओं की कार्यप्रणाली में पूर्व उदाहरणों का अहम योगदान है जो नवोन्मेषिता को हतोत्साहित करता है

2. लोकसेवाएँ वरिष्ठता के आधार पर कार्य करती है अतः व्यक्तिगत उद्यमिता का योगदान सीमित हो जाता है।

3. प्रशिक्षण में भी पुराने मानकों का उपयोग किया जाता है।

4. भारतीय सिविल सेवाओं में समन्वय का अभाव है। एक ही क्षेत्र के विभिन्न विभागों के मध्य भी एकाकी कार्य प्रणाली प्रचलित है।

हालांकि वर्तमान सुधारों के पश्चात लोक सेवाओं में नवोन्मेषिता व समन्वय भी देखा गया है -

- कोविड का प्रबंधन
- स्वास्थ्य में असम का सोनितपुर मॉडल
- बुंदेलखंड में नवोन्मेषी जल सप्लाई
- अरुणाचल प्रदेश का डिजिटल स्कूल कार्यक्रम

आगे की राह -

1. वेबेरियन मॉडल के साथ-साथ नव प्रबंधन मॉडल की भी शुरुआत करना
2. मिड ट्रेनिंग को लक्ष्योन्मुखी व परिणाम आधारित करना.
3. सेवाओं में व्यक्तिगत उद्यमिता को प्रोत्साहित करना.
4. अंतर्क्षेत्रीय व अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना.

"नवभारत @75 पर भारत के समग्र विकास हेतु सिविल सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार आवश्यक है"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. असुरक्षित गर्भपात भारत में महिलाओं के प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए और उपचारात्मक उपाय भी बताइए।
Unsafe abortions are a critical issue affecting the reproductive and maternal health of women in India. Identify the reasons behind the same and suggest remedial measures as well. (Answer in 150 words) 10

भारत में अभी भी संस्थागत प्रसव 78.6 % है जो महिला प्रजनन व मातृ स्वास्थ्य हेतु चुनौती बना हुआ है

असुरक्षित गर्भपात के कारण खराब महिला प्रजनन व मातृ स्वास्थ्य

- भारत की आधे से अधिक प्रजनन उम्र की महिलाएँ अनीमिया से पीड़ित हैं।
- वैश्विक औसत से अधिक भारत में मातृ मृत्यु दर का होना
- भारत का ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स में 135 वाँ स्थान

उत्तरदायी कारण :

i. गाँवों में तथाकथित निम्न जातियों के मध्य संस्थागत प्रसव में जागरूकता का अभाव.

ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक अवसंरचना का अभाव.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iii. अवसंरचना के साथ-साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्मिकों की कमी

iv. सीजेरियन पद्धति के माध्यम से डिलीवरी को बढ़ावा.

v. बाल विवाह के कारण कम उम्र में गर्भधारण.

vi. निरोध उपायों की सीमित उपलब्धता

महिलाओं में कानूनी अधिकारों की जानकारी न होना.

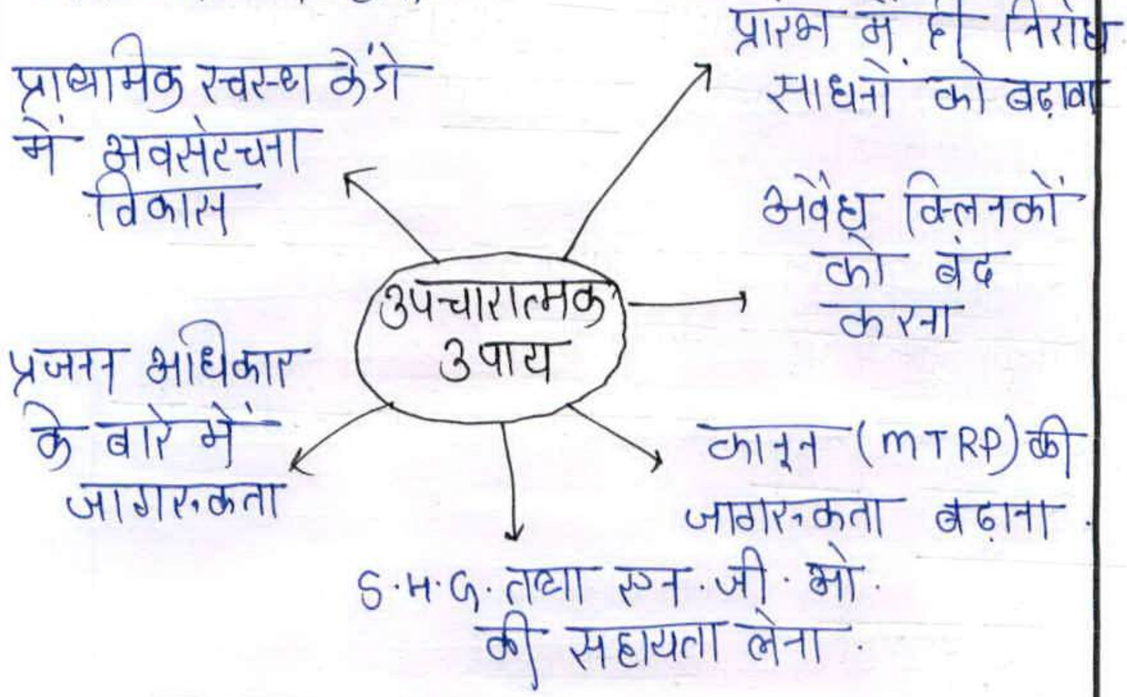

"SDG-5 की लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महिला प्रजनन अधिकारों को मान्यता तथा उस दिशा में कार्य करना भारत की समय की मांग है"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उसकी वहनीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। इस संदर्भ में, देश को 'डिजिटल स्वास्थ्य' क्रांति के मुहाने पर लाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Digital healthcare has the potential to address the perennial issues pertaining to accessibility and affordability of healthcare in India. In this context, discuss the role of Ayushman Bharat Digital Mission in putting the country at the cusp of a 'digital health' revolution. (Answer in 150 words) 10

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली का एकीकरण तथा विकेंद्रीकरण करके भारतीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाता है.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन व स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच.

- ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यक्ति शहरी डॉक्टरों की सेवा ले सकता है.
- स्वास्थ्य रिकार्ड का एकीकरण करके ये किसी भी अस्पताल में स्विच करने का विकल्प देता है.
- भौतिक अवसंरचना की कमी को डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से पूरकता प्रदान करना
- आदिवासी तथा जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करना.
- स्वास्थ्य सेवाओं प्रदायगी में निजी क्षेत्र को भी शामिल करना.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वास्थ्य देखभाल की वहनीयता

1. प्रति परिवार 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य को वहनीय बनाता है.
2. डिजिटल देखभाल से ट्रांसपोर्टेशन कीमत में कमी आती है
3. निवारक स्वास्थ्य प्रणाली पर विशेष ध्यान जिससे रोग का प्रभावी निदान वहनीय।

चुनौती.

- ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड व कनेक्टिविटी का मुद्दा.
- आदिवासी क्षेत्रों में पहुँच न होना.
- निजता का मुद्दा
- भारतीय चिकित्सा पद्धति को समाहित न करना.
- भौतिक अवसंरचना की उपेक्षा.

"आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को विकेंद्रीकृत करके तथा थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से इसकी प्रभाविता को और बढ़ाया जा सकता है"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. दक्षिण एशिया से एकमात्र G20 सदस्य के रूप में, भारत के लिए G20 का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया की आवाज को बुलंद करने के लिए एक प्रभावी मंच के तौर पर इस समूह का उपयोग करने हेतु एक आदर्श अवसर है। टिप्पणी कीजिए।
As the only G20 member from South Asia, the G20 leadership is an ideal opportunity for India to use it as an effective platform to amplify South Asia's voice at the global stage. Comment. (Answer in 150 words) 10

भारत वर्ष 2023 के लिये जी.20 की मेजबानी कर रहा है, अन्य मुद्दों के साथ साथ भारत विकासशील देशों व विशेषकर दक्षिण एशीया की आवाज निम्न प्रकार उठा रहा है-

साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारी को मुख्य धारा में लाना - भारत जी.20 के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से द. एशीया में मौजूद संकट को विश्व के समक्ष रखने में सफल हुआ है।

खाद्य सुरक्षा - आपूर्ति व्यवस्था के बाधित होने तथा यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद द. एशीया खाद्य असुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। जी.20 के माध्यम से भारत द. एशीया में खाद्य सुरक्षा तथा WTO में समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु कार्य कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों में द. एशिया का प्रतिनिधित्व

भारत NORMS के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में द. एशिया के बढ़ते प्रतिनिधित्व के लिये कूटनीतिक लामबंदी कर रहा है।

अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व ·

- देशों के आर्थिक स्वास्थ्य हेतु सहयोग
- विकसित देशों के द्वारा द. एशियाई देशों को बाजार में तरजीह देना
- कृषि सब्सिडियों तथा मत्स्ययन की स्थायी व्यवस्था WTO में
- जलवायु संकट के मद्देनजर था शमन हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

" भारत जी·20 में बांग्लादेश के साथ साथ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी शीर्ष स्तरीय वार्ता में आमंत्रित करके जी·20 में द. एशिया की आवाज को और अधिक तरीके से बुलंद कर सकता है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. भारत-यू.ए.ई. CEPA दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा भारत को इस क्षेत्र में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। चर्चा कीजिए।
The India-UAE CEPA will serve as a catalyst to bolster economic ties between the two countries and give India greater access to the region. Discuss. (Answer in 150 words) 10

भारत. यू.ए.ई. CEPA न केवल भारतीय उत्पादों को तरजीह उपलब्ध कराता है बल्कि यू.ए.ई. के साथ संबंधों को व्यापक रणनीतिक स्तर तक ले जाने की दिशा में कार्य करेगा -

CEPA दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने हेतु उत्प्रेरक.

1. भारत के 98% उत्पादों तथा यू. ए.ई. के अधिकांश उत्पादों को तरजीह प्राप्त होना
2. ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को शामिल करना
3. ए.ए.ई. के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
4. यू.ए. ई. भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है अतः CEPA गैर ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने में सहायक साबित होगा।

भारत को क्षेत्र में व्यापक पहुँच

→ यू.ए.ई. के साथ साथ कतर, बहरीन आदि पश्चिम एशियाई राज्यों तक बाजार पहुँच

→ भारत के कृषि निर्यात में विविधता

→ भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों को रोजगारों के अवसरों में वृद्धि

→ व्यापार में ऊर्जा के अलावा कृषि, जलवायु, प्रौद्योगिकी आदि का शामिल होना

→ सऊदी अरब, ईरान तथा मिस्र के साथ भी व्यापार में वृद्धि के संकेत।

"यू.ए.ई. के साथ CEPA समझौता भारत - पश्चिम एशिया संबंधों में सुधार हेतु ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. एक दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति और डोमेन विशेषज्ञता की कमी को भारतीय न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा कीजिए।
A dysfunctional criminal justice system, absence of well-considered legislation and need for domain expertise, are being seen as the new challenges for the Indian judiciary. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारत में संघवाद के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है जो मूल अधिकारों का रक्षक तथा सिविल व आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करती है: वर्तमान में निम्न कारणों से भारतीय न्यायपालिका चुनौतियों का सामना कर रही है -

दोषपूर्ण आपराधिक न्यायप्रणाली.

- भारतीय साक्ष्य अधि. 1872 अभी भी साक्ष्य एकत्र करने को निर्देशित करता है.
- स्थानीय स्तर पर पुलिस द्वारा विवेचना में लापरवाही बरती जाती है.
- संगीन मामलों पर पुलिस पर राजनीतिक दबाव
  - कई रेप मामलों में पीड़िता का शव आनन फानन में जला देना.
- पूँछ-ताछ में वीडियोग्राफी माध्यमों का सीमित उपयोग.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुविचारित कानून की अनुपस्थिति

1. भारत में जनता के दबाव में विचार विमर्श के अभाव में कुछ कानूनों का निर्माण
यथा- पॉक्सो अधिनियम में जमानत के कठोर उपबंध
POSH अधिनियम में निर्दोष मानने का उपबंध न होना
2. कई राज्यों द्वारा बिना अवसंरचना तथा जनजागरूकता के शराबबंदी कानूनों को लागू करना
3. ट्रैफिक नियमों में जनजागरूकता के बगैर दंड की मात्रा को बढ़ा देना.
कानूनों में अस्पष्टता का अधिक होना
4. न्यायाधीशों के विवेकाधिकार में वृद्धि

डोमेन विशेषज्ञता की कमी

अंतर्राज्यीय जल विवादों का निस्तारण मात्र न्यायपालिका का विषय नहीं है
व्यापारिक निवेश समझौतों के समाधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हेतु आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव
यथा ⊙ वोडाफोन केस
⊙ टेलीकॉम कंपनियों के राजस्व की परिभाषा.

जलवायु परिवर्तन तथा खेलों में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव.

भारतीय न्यायपालिका जहाँ पहले से लंबित मामले, रिक्तियाँ तथा अपर्याप्त अवसंरचना के बोझ तले दबे हुयी थी, उसमें ये नयी समस्याएँ गुणात्मक वृद्धि कर रही हैं.

आगे की राह:
- दंड शिनाख्त अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन
- पुलिस प्रणाली में विवेचना को कानून व्यवस्था से अलग करना (प्रकाश समिति)
- कानून निर्माण में विवेकाधिकारों को सीमित करना
- विशेषज्ञ बेंचों का निर्माण तथा ट्रिब्यूनल को बढ़ावा.

उपर्युक्त सुझावों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका को नये युग की चुनौतियां हेतु सक्षम बनाया जा सकेगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. दल-बदल विरोधी कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को किस हद तक हल करने में सक्षम रहा है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

To what extent has the anti-defection law been able to address the issue of political instability in India? Discuss with suitable arguments. (Answer in 250 words) 15

लोकतांत्रिक सरकार को वैधता प्रदान करने हेतु 52 वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था

कानून की राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को हल करने में सफलता.

1. दल के मर्जर हेतु आवश्यक आँकड़े को 2/3 करने के पश्चात दलों के टूटने की गति में कमी आयी है।

2. क्षेत्रीय स्तरों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है यथा- उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी का विभाजन न होना.

3. राजनीति में आया राम गया राम की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है अब कोई अकेला सदस्य दल बदल नहीं कर सकता है।

4 सदन के अंदर सदस्यों पर दलों

का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

5. केंद्रीय स्तर पर 1990 के दशक के पश्चात सरकारों द्वारा कार्यकाल पूर्ण किया गया है।

हालांकि उपर्युक्त सफलताएँ दल बदल विरोधी कानून की सीमित सफलताएँ ही साबित हुयी हैं-

असफलताएँ:

- → महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में तीन बार दल बदल का होना
- → मध्य प्रदेश में दलबदल की घटना के कारण सरकार द्वारा कार्यकाल पूरा न कर पाना
- → क्षेत्रीय दलों के आंतरिक विभाजन को रोकने में असफलता
  - यथा: बिहार में रामविलास पासवान की दल में विभाजन
  - शिवसेना में विभाजन
  - एन.सी.पी. में विभाजन.

दलबदल विरोधी कानून की सीमित सफलता के पीछे निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं.

कारक

- कानून में व्याप्त विसंगतियाँ
- स्पीकर / सभापति द्वारा निर्णय में निष्पक्षता न बरतना
- कूलिंग ऑफ पीरियड का न होना।
  - छः वर्ष पश्चात ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिले।
- दल बदल को जनता में स्वीकृति प्राप्त
  - उम्मीदवार दुबारा जीतकर आ जाते हैं

आगे की राह:

- → दल बदल का निर्णय में चुनाव आयोग की प्रभावी भूमिका हो
- → निर्णय की समय सीमा परिभाषित की जाये
- → एक न्यूनतम कूलिंग ऑफ पीरियड हो
- दल बदल कानून को सिर्फ महत्वपूर्ण वोटिंग तक सीमित हो (दिनेश गोस्वामी समिति)

"इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में बगैर दल बदल विरोधी कानून के संसदीय व अध्यक्षीय शासन है अत: भारत में भी राजनीतिक संस्कृति की परिपक्वता हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघवाद के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन तंत्रों को रेखांकित कीजिए जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है।
Governance of inter-state rivers in India suffers from various issues due to conflictual federalism. Discuss. Also, highlight the mechanisms, which can be utilised to resolve inter-state river water disputes in India. (Answer in 250 words) 15

भारत, नदी संसाधन संपन्न देश है किंतु संघीय समस्याओं की वजह से यह अपनी नदी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में असमर्थ रहा है.

अंतर्राज्यीय नदियों के प्रबंधन में समस्यायें.

I. राजनीतिक समस्या.
पड़ोसी राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकार के कारण समन्वय कायम करने में कठिनाई आती है
यथा- पंजाब-हरियाणा में नदी जल विवाद
महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में विवाद
केरल-तमिलनाडु में विवाद.

II. राज्यों का हित
विकासशील देश होने के कारण प्रत्येक राज्य की अपनी ऊर्जा तथा जल संबंधी हित हैं.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

III. संविधान में स्पष्ट निर्देशों का अभाव :
संविधान अंतर्राज्यीय नदी प्रबंधन हेतु मात्र नदी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है जिससे प्रत्येक राज्य की अपनी अलग धारणा है.

IV. चुनावी राजनीति.
राज्य, नदी जल का प्रयोग राज्य के समर्थन में भावुकता पैदा करने हेतु करते हैं.

V. नदी अधिकरण के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु तंत्र का अभाव.
प्रभावी तंत्र के अभाव में जल विवाद की समस्यायें ज्यों के त्यों बनी रहती हैं।

हालांकि भारतीय संविधान सहकारी संघवाद के माध्यम से ऐसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जो अंतर्राज्यीय नदी प्रबंध को बढ़ावा देते हैं.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. अंतर्राज्यीय परिषद : अनु. 263 के तहत स्थापित परिषद् नदी प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय का कार्य कर सकती है

2. क्षेत्रीय परिषदें : 5 क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से नदी प्रबंधन में बहुराज्यीय सहयोग कायम किया जा सकता है।

3. नदी बोर्ड का प्रावधान : अनु. 262, संबंधित राज्यों की मांग पर नदी बोर्ड के माध्यम से समाधान उपलब्ध कराता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय : नदी जल विवादों को हल करने का अंतिम माध्यम सर्वोच्च न्यायालय है।

चूंकि नदी जल विवाद प्रकृति में राजनीतिक हैं अतः उपर्युक्त माध्यमों का प्रयोग करते हुये राज्य व राष्ट्र हित में नदी विवादों को शीघ्रातिशीघ्र हल किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. उत्तर-औपनिवेशिक दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय संविधान के उन मूलभूत पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए, जिनके संदर्भ में यह अपने समकालीन संविधानों से भिन्न था।

Elaborate on the fundamental aspects in which the Indian Constitution differed from its contemporaries despite being a post-colonial document. (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान अपनी औपनिवेशिक विरासत भारत शासन अधिनियम - 1919, 1935 के प्रभाव के बावजूद अपने निम्न प्रावधानों के कारण समकालीन संविधानों से भिन्न था -

1. विशद तथा लिखित आकार -

भारतीय संविधान तत्समय मौजूद संविधानों में सबसे बड़ा तथा लिखित था क्योंकि इसमें राज्यों के साथ साथ प्रशासनीय उपबंध भी शामिल थे -

- मूल संविधान
  - 395 अनुच्छेद
  - 22 भाग
  - 8 अनुसूचियाँ.

2. तत्समय मौजूद संविधानों की अच्छी बातों का संकलन -

डॉ. अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के सभी

संविधानों को छानने के बाद हुआ है। हालांकि इसमें मौलिकता यह थी कि लिये गये प्रावधानों में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया गया था-

यथा ⊙ यू.एस.ए. से उपराष्ट्रपति का पद
⊙ कनाडा से राज्यपाल
⊙ ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची
⊙ रूस से न्याय का विचार
⊙ आयरलैण्ड से नीति निदेशक तत्व

3. ब्रिटेन तथा अमेरिका की संवैधानिक प्रणालियों में समन्वय

ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय

4. नम्यता व अनम्यता का मिश्रण.
अनु. 368 के माध्यम से संशोधन के दो प्रकार तथा एक साधारण तरीके से होने वाला संशोधन
यह संशोधन प्रक्रिया संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5· प्रस्तावना में भारत के लक्ष्य को स्पष्ट करना·

प्रस्तावना भारत को स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है तथा न्याय, समानता व स्वतंत्रता के उद्देश्य भी स्पष्ट करती है।

"इस प्रकार भारतीय संविधान में भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व के सभी संविधानों के तत्व, इसे उन सबसे अलग करते हैं।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. मुफ्त उपहार, विशेष रूप से चुनावों से पहले, समाज के लिए लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क दीजिए।
Freebies, especially ahead of elections, do more harm than good to the society. Do you agree? Give logical arguments in support of your answer. (Answer in 250 words) 15

मुफ्त उपहारों से तात्पर्य जनता को आकर्षित करने हेतु राज्य द्वारा एकतरफा दिये जाने वाले उपहार हैं जो प्रकृति में अल्पकालिक तथा गैर समावेशी हैं.

मुफ्त उपहार समाज के वंचित वर्गों हेतु आवश्यक

आवश्यकता →
- लैपटॉप, साइकिल आदि प्राप्त होने से विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार होता है
- मुफ्त बिजली तथा पानी गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करता है.
- ऋण माफी किसानों को कर्ज से राहत देकर कृषि में निवेश हेतु प्रोत्साहित करता है.
- महिलाओं को मुफ्त यातायात उनकी श्रम सहभागिता (LFPR) में वृद्धि करता है.

हालांकि कई आर्थिक थिंक टैंकों द्वारा यह भारत जैसे विकासशील देशों हेतु खतरनाक बताया गया है-

चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों की हानिकारक प्रवृत्ति

1. क्षमता विकास की उपेक्षा

अमर्त्य सेन गरीबी को क्षमताओं के अभाव के रूप में परिभाषित करते है। मुफ्त उपहार केवल लघुकालिक समाधान देते हैं।

II. पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश में कमी

किसानों की कर्जा माफी आदि का कृषि सुधारों पर सीमित प्रभाव पड़ता है; कृषि में अवसंरचना का अभाव किसानों को कर्ज हेतु मजबूर करता है।

III. राज्य की आर्थिक प्रोफाइल का बिगड़ना

ऐसे अदूरदर्शी योजनाएं राज्य के एफ़ आर बी एम संकेतक पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

IV: स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अभाव: सत्ता पक्ष, अनावश्यक रूप से राज्य के संसाधनों का प्रयोग करके बढ़त प्राप्त करता है।

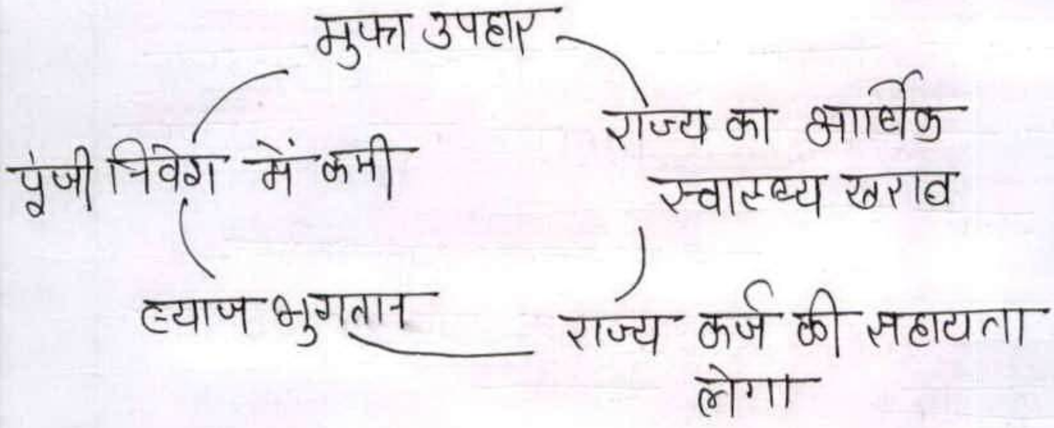

चित्र: आर्थिक कुचक्र

आगे की राह
- कल्याणकारी योजनाओं तथा मुफ्त योजनाओं में स्पष्ट अंतर हो
- चुनाव आयोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करे
- चुनाव मेनीफेस्टो में संसाधन जुटाने की रणनीति भी हो
- क्षमता निर्माण पर विशेष बल

राजनीतिक संस्कृति तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मुफ्त उपहारों को कल्याणकारी योजनाओं व क्षमता निर्माण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

16. भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

The Smart Cities Mission, which was launched to change the urban landscape of India has produced mixed results. Discuss. Also, highlight the challenges faced in executing the Mission. (Answer in 250 words) 15

स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय क्षेत्रक की योजना हैं जिसके अंतर्गत शहरों के एकीकृत प्रबंधन की परिकल्पना की गयी है -

स्मार्ट सिटीज मिशन के तत्व

- → भारतीय शहर जल तथा स्वच्छता के मानक स्थापित करेंगे
- → यातायात व ट्रैफिक कंट्रोल विकसित देशों के मानकों पर होगा
- → शहरों की अवसंरचना सभी वर्गों के अनुकूल यथा- दिव्यांग, बच्चे, वृद्ध
- → शहर, नवोन्मेषी तथा प्रौद्योगिकी समर्थित होंगे
- → जलवायु परिवर्तन के अनुरूप शहरों का ढांचागत विकास.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सकारात्मक परिणाम :

- भारतीय शहर वैश्विक मानकों के अनुरूप हुये हैं : बनारस, अयोध्या को क्रमशः जापान व दक्षिण कोरिया के जुड़वा शहरों के रूप में विकास
- अधिकांश स्मार्ट सिटीज ODF++ तथा वाटर प्लस शहर घोषित किये गये हैं. यथा : हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम
- स्मार्ट सिटीज में यातायात की समस्या दूर हुयी है।
- प्रवासी श्रमिकों हेतु स्वच्छ पर्यावास उपलब्ध करवाया गया है.

अपेक्षित परिणाम :

- → जेंडर समावेशी शहरों का निर्माण किया जाना
- → बंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई आदि बड़े महानगर अभी भी बाढ़ की समस्या से पीड़ित हैं
- → वेस्ट मैनेजमेंट को उत्तम करना.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौती :

चुनौतियाँ

- केंद्र - राज्य सहयोग में कमी
- कैग के ऑडिट में फंड की कमी पायी गयी है
- स्पेशल पर्पज वेहिकल का निर्माण न होना
- सर्वोत्तम प्रथाओं से न सीखना
- वन साइज फिट्स ऑल का दृष्टिकोण
- स्थानीय ज्ञान को नीति निर्माण में पर्याप्त महत्व न दिया जाना

आगे की राह :

- म्युनिसिपल बाण्ड को बढ़ावा देना
  उदा. इंदौर.
- पीपीपी मोड को वरीयता
- स्मार्ट सिटीज को स्थानीयता के अनुसार डिजाइन करना
- जलवायु परिवर्तन एक आवश्यक घटक होना

" 2070 तक 80% शहरीकरण के मद्देनजर भारत को वाइब्रेंट शहरों की आवश्यकता है, अत: इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. यह तर्क दिया गया है कि भारत में उद्यमिता परिवेश के समक्ष विद्यमान विभिन्न बाधाओं के बावजूद, भारत के भविष्य को इसके उद्यमियों द्वारा आकार दिए जाने की संभावना है। टिप्पणी कीजिए।
It has been argued that despite several hurdles faced by the entrepreneurship ecosystem in India, the future of India is likely to be shaped by its entrepreneurs. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत यूनीकॉर्न के मामले में यू.एस. ए. व चीन कि बाद तीसरे स्थान पर है फिर भी इसका उद्यमिता परिवेश निम्न समस्याओं का समाना कर रहा है:

1. दीर्घकालिक सततता की समस्या:
भारतीय उद्यम एंजेल कैपिटल की मदद से तुरंत बूम कर जाते हैं किंतु पर्याप्त अनुभव का अभाव तथा सतत व्यापार पद्धतियों के न होने से दीर्घकाल में आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे हैं.
- शिक्षाटेक- byju's.

2. टीयर 2 + 3 शहरों में उद्यमों की कमी:
सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत का उद्यम क्षेत्र बंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा आदि में ही संकेंद्रित है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. वैश्विक प्रतिस्पर्धी न होना.

भारतीय स्टार्टअप फंड, राजनीतिक सहयोग, कार्यसंस्कृति आदि कारकों की वजह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं।

4. फंड की कमी.

सरकारी मुद्रा योजनाओं आदि में मौजूद जटिलता, उद्यमों को प्राइवेट कैपिटल के भरोसे छोड़ देती है जो स्थायी व सतत नहीं है।

हालांकि उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद भारत में उद्यम की अपार संभावनायें हैं.

1. वैश्विक कारक.

'चीन +1' की रणनीति के कारण सभी विकसित देश भारत को गंतव्य के रूप में देख रहे हैं।

11. द्विपक्षीय सहयोग.

भारत वर्तमान में हस्ताक्षरित एफ.टी.ए. व अन्य व्यापार समझौतों में उद्यम तथा आपूर्ति श्रृंखला को

शामिल करता है.

III. सुगम्य आर्थिक सहयोग

भारत सरकार टियर 2 व 3 शहरों में उद्यमों को प्रोत्साहित कर रही है. साथ ही मुद्रा योजना आदि के माध्यम से सस्ते दरों पर लोन भी प्रदान कर रही है।

IV. भारत एक वृहद बाजार

भारत का वृहद बाजार, यहाँ उद्यम की संभावनाओं को पर देता है।

V. डिजिटलीकरण

भारत में हो रहे वैश्विक गति से भी तेज डिजिटलीकरण उद्यमों की पहुँच में वृद्धि करता है।

"उद्यम के द्वारा भारत के भविष्य को तभी आकार प्राप्त हो सकता है जब ये सतत व ठोस पद्धतियों पर स्थापित हों।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. हालांकि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना ने लैंगिक भेदभाव पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह खराब कार्यान्वयन और निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है। चर्चा कीजिए।

Though the 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme has given much-need attention to gender discrimination, it has failed to yield desired results due to poor implementation and monitoring. Discuss. (Answer in 250 words) 15

कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना फंड का अपर्याप्त होना तथा कार्यान्वयन जैसे मुद्दों का सामना कर रही है.

बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना द्वारा लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन का लक्ष्य

योजना बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा को लक्षित करती है

विवाह हेतु निवेश योजनाओं का प्रावधान

हरियाणा तथा अन्य राज्यों में लिंग अनुपात में सुधार

हालांकि यह वर्तमान में खराब क्रियान्वयन व निगरानी का सामना कर रही है.

योजना का आवंटित धन व्ययगत नहीं होगा अतः धन का समुचित उपयोग नहीं

थर्ड पार्टी ऑडिट का अभाव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

योजना में मौजूद विभिन्न हितधारकों में समन्वय का अभाव
· यथा वित्त मंत्रालय तथा बाल विकास मंत्रालय के मध्य

सामाजिक अंकेक्षण का अभाव.

उपर्युक्त कारणों की वजह से योजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं.

- अभी भी माध्यमिक तथा उच्च स्तरोंपर छात्रा नामांकन का 100% न होना
- कुछ राज्यों यथा राजस्थान आदि में कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलित होना
- ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का अभाव
  निवेश योजनाओं की सीमित उपलब्धता
- महिला साक्षरता में अपेक्षित वृद्धि न होना.
- UNICEF के अनुसार 1/3 बाल विवाहों का भारत में होना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह
- अंतरमंत्रालयी सहयोग स्थापित करना
- थर्ड पार्टी ऑडिट तथा सामाजिक ऑडिट के प्रावधान करना
- योजना को व्यपगत आकार देना
- जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना

"SDG-5 तथा लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का क्रियान्वयन अत्यावश्यक होगा।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

As security threats increase in form and frequency in the South-West Indian Ocean, discuss the role played by India in relation to small island developing states (SIDS) in the region. (Answer in 250 words) 15

दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र से तात्पर्य अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तटीय देशों [तंजानिया, मोजांबिक ...] आदि से है।

द. पश्चिम हिंद महासागर में व्याप्त सुरक्षा खतरे

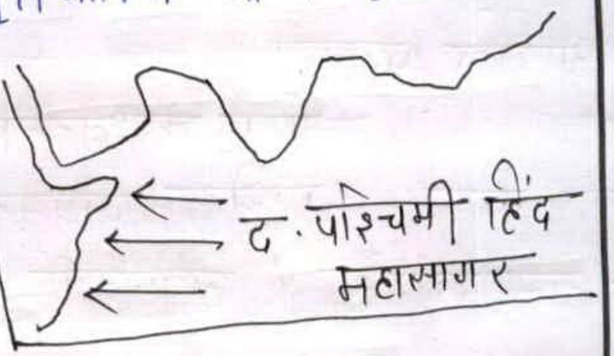

1. समुद्री डकैती : समुद्री डकैती प. हिंद महासागर के व्यापार को व्यापक रूप से प्रभावित कर आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाती है

2. समुद्र स्तर का बढ़ना : उपर्युक्त देश अल्पविकसित व विकासशील देश हैं अतः स्वयं जलवायु संकट का सामना करने में सक्षम नहीं हैं

3. बढ़ता सैन्यीकरण : चीन द्वारा क्षेत्र में (जिबूती) में सैन्य बेस को स्थापित करना तथा

ऑकस आदि की घोषणा क्षेत्र में सैन्य संकट का खतरा लाती है।

4. आपदाओं का संकट

जलवायु परिवर्तन के साथ-2 संपूर्ण क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की चपेट में रहता है।

5. आर्थिक असुरक्षा

चीन का बढ़ता प्रभाव, इन देशों की आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है [अपारदर्शी बी. आर. आई.]

लघु द्वीपीय विकासशील देश [SIDS] तथा भारत

भारत SIDS के साथ मिलकर उपर्युक्त खतरों को सामना करने हेतु संस्थागत फ्रेमवर्क को अपना रहा है-

(i) सागर - सभी के लिये सुरक्षा के उद्देश्य से हिंद महासागर को नियम आधारित विश्व व्यवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ii) IOR-एसोसिएशन - भारत इस संगठन का पर्यवेक्षक देश है अत: समुद्री नौवहन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की स्वतंत्रता तथा समुद्री पाइरेसी को रोकने में यह संगठन मददगार है।

(iii) आर्थिक सहायता

— भारत जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से राज्यों की आर्थिक संप्रभुता हेतु कार्य कर रहा है।

(iv) वैक्सीन मैत्री तथा आपदा कूटनीति के माध्यम से भारत इन क्षेत्रों में मानवीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सोर गठबंधन [ISA].

— अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन करने के लिये भारत ISA के माध्यम से सहयोग कर रहा है।

— हालांकि भारत को क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता तथा आर्थिक हितों को सुरक्षित करने की ओर भी अग्रसर होना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. चूंकि भारत अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है, इसलिए उप-क्षेत्रों के माध्यम से सीमा-पार कनेक्टिविटी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्लेषण कीजिए।
As India re-imagines its neighbourhood, cross-border connectivity through sub-regions is becoming increasingly vital. Analyse. (Answer in 250 words) 15

भारतीय विदेश नीति प्रारंभ से ही पडोस प्रथम पर आधारित थी किंतु वर्तमान में द. एशिया के एकीकरण के माध्यम से व्यापार को बढाने के लिये भारत अपने पडोस को नया आकार देना चाहता है। [वर्तमान में व्यापार विश्व का 5% : विश्व बैंक]

भारत बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलेंण्ड, वियतनाम, नेपाल, भूटान आदि के साथ कनेक्टिविटी संबंधों में सुधार को निम्न रूप में प्राथमिकता दे रहा है-

1. BBIN समझौता -
यह भारत, बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल के मध्य उपक्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता है।

2. कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट - यह भारत को म्यांमार से होते हुये थाईलेण्ड से जोडकर पूर्वी एशिया तक पहुँच प्रदान करेगा।

भारत - नेपाल - बांग्लादेश के मध्य कनेक्टिविटी - इसके माध्यम से नेपाल को पत्तन तक पहुंच प्रदान करना।

चाबहार समझौता - यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का भाग है। यह भारत को मध्य एशियाई देशों तक पहुँच भी प्रदान करेगा।

उपक्षेत्रीय कनेक्टिविटी का भारत हेतु महत्व:

- द. एशिया का व्यापारिक एकीकरण
- भारत को अपने पूर्वोत्तर भाग के एकीकरण में सहायता
- ड्रग्स व्यापार का खात्मा
- उग्रवाद के खिलाफ कार्यवाई
- व्यापारिक के साथ-साथ द. एशिया के रणनीतिक महत्व में वृद्धि
- चीन की बी.आई.आर. परियोजना का मुकाबला।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपक्षेत्रीय कनेक्टिविटी : चुनौतियाँ

- नेपाल के साथ सीमानिर्धारण
- प्राथमिकता में अंतर : भूटान BBIN से अलग
- चीन का आर्थिक विकल्प न होना
- परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन
- नीतिगत अंतराल
- नदी जल बँटवारे की समस्या < भारत, बांग्लादेश

आगे की राह

I. सार्क का पुनरुत्थान करना तथा बिम्स्टेक को और प्रभावी बनाना
II. एफ.टी.ओ. (FTA) की ओर वास्तविक प्रयास करना
III. सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना
IV. भारत द्वारा छोटे देशों को रियायतें प्रदान करना

"उपक्षेत्रीय कनेक्टिविटी न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिये विन विन की स्थिति होगी।"